

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी:-नेहा छीपा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:-08/2023 (2023/32) प्रार्थना पत्र

## अनवान

1. पारसनाथ पिता तारानाथ कालबेलिया निवासी सगेरव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. अनोपनाथ पिता तारानाथ कालबेलिया निवासी सगेरव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. गोकलनाथ पिता तारानाथ कालबेलिया निवासी सगेरव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. जोधनाथ पिता तारानाथ कालबेलिया निवासी सगेरव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. भारतनाथ पिता तारानाथ कालबेलिया निवासी सगेरव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. श्रवणनाथ पिता तारानाथ निवासी सगेरव फोट जरिये किशननाथ पिता श्रवणनाथ कालबेलिया
7. हंजा पत्नि तारानाथ कालबेलिया निवासी सगेरव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

## बनाम

1. गोकलनाथ पुत्र हीरानाथ कालबेलिया निवासी सगेरव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. बदामदेवी पत्नि हीरानाथ कालबेलिया निवासी सगेरव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. रतननाथ पुत्र हीरानाथ कालबेलिया निवासी सगेरव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. शंकरनाथ पुत्र हीरानाथ कालबेलिया निवासी सगेरव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. शम्भुनाथ पुत्र हीरानाथ कालबेलिया निवासी सगेरव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. श्रवण पुत्र हीरानाथ कालबेलिया निवासी सगेरव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. सरदारनाथ पुत्र हीरानाथ कालबेलिया निवासी सगेरव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. पारसनाथ पुत्र तारानाथ कालबेलिया निवासी सगेरव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. भोजा पुत्र देवा सुथार निवासी सगेरव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. कमला पुत्री काशीराम शर्मा निवासी सगेरव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. चांदी पुत्री काशीराम शर्मा निवासी सगेरव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. नानूदेवी पत्नि काशीराम शर्मा निवासी सगेरव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. प्रेम पुत्री काशीराम शर्मा निवासी सगेरव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14. लादुलाल पुत्र काशीराम शर्मा निवासी सगेरव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15. काना पुत्र मांगीलाल धोबी निवासी सगेरव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
16. किशनलाल पुत्र नानुराम धोबी निवासी सगेरव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
17. गणेश पुत्र भुरालाल धोबी निवासी सगेरव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
18. गीतादेवी पत्नि गोपीलाल धोबी निवासी सगेरव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
19. छितरमल पिता सोहन धोबी निवासी सगेरव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
20. जमनालाल पिता मांगीलाल धोबी निवासी सगेरव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
21. डालचन्द पुत्र भुरालाल धोबी निवासी सगेरव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
22. धनराज पुत्र नानुराम धोबी निवासी सगेरव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
23. नाथु पुत्र नारायण धोबी निवासी सगेरव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
24. पारसदेवी पुत्री सोहन धोबी निवासी सगेरव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
25. बंशीलाल पुत्र भुरालाल धोबी निवासी सगेरव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
26. रमेश पुत्र रामचन्द्र धोबी निवासी सगेरव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
27. राजू पुत्र रामचन्द्र धोबी निवासी सगेरव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
28. शंकरलाल पुत्र सोहन धोबी निवासी सगेरव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
29. श्यामलाल पुत्र भुरालाल धोबी निवासी सगेरव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
30. शान्तिलाल पुत्र सोहन धोबी निवासी सगेरव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
31. सज्जनदेवी पुत्री सोहन धोबी निवासी सगेरव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
32. हीरालाल पुत्र मांगीलाल धोबी निवासी सगेरव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
33. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा



विपक्षीगण

## प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

उपरिथित

1. राजुलाल नायक -

प्रार्थीगण अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 16.05.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है राजस्व ग्राम सगरेव पटवार हल्का सगरेव तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के अधिकार एवं कब्जे की आराजी संख्या 837 रकबा 0.18 है0, आराजी संख्या 838 रकबा 0.90 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.08 है0 भूमि खाता संख्या 468 पर दर्ज है। इसी प्रकार आराजी संख्या 825 रकबा 1.30 है0, आराजी संख्या 826 रकबा 0.30 है0, आराजी संख्या 827 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 828 रकबा 0.50 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.16 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 347 पर दर्ज रेकार्ड है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस मे सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढी कराने बाबत् कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते है। प्रार्थीगण ने दिनांक 10.11.2022 को विपक्षीगण को अन्तिम बार कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। अतः प्रार्थीगण की सादर प्रार्थना है कि उक्त वर्णित आराजियात की पत्थरगढी कराये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 12.01.2023 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी संख्या 10 लगायत 14 व 16 लगायत 32 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया एवं विपक्षी संख्या 1 लगायत 9 व 15 के विरुद्ध अदम तामिल होने से प्रार्थीगण अधिवक्ता कोई कार्यवाही नही चाहते है विपक्षी संख्या 33 फोरमल पक्षकार है। प्रार्थीगण खातेदार है और खातेदार अपनी आराजी की पत्थरगढी करवाने के लिये स्वतंत्र है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हाने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। प्रार्थीगण खातेदार होकर अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है जिसमें अगर कोई विपक्षी ऐतराज भी करता है तो कानुनन स्वीकार योग्य नही है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।



## आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम सगरेव पटवार हल्का सगरेव तहसील रायपुर के बेरुन हल्का आवादी में प्रार्थीगण के अधिकार एवं कब्जे की आराजी संख्या 837 रकबा 0.18 है0, आराजी संख्या 838 रकबा 0.90 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.08 है0 भूमि खाता संख्या 468 पर दर्ज है। इसी प्रकार आराजी संख्या 825 रकबा 1.30 है0, आराजी संख्या 826 रकबा 0.30 है0, आराजी संख्या 827 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 828 रकबा 0.50 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.16 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 347 पर दर्ज रेकार्ड है। जिसकी पत्थरगढी कराये जाने हेतु सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी शुल्क 500/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 1000/-रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर में दाखला अंकित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 16.05.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(मिहा छीपा)  
उपखण्ड अधिकारी  
रायपुर जिला, भीलवाड़ा,  
राजस्थान (सुपरी, न्यायालय)  
रायपुर (सुपरी, न्यायालय)